



(सूचना का अधिकार)
RIGHT TO
INFORMATION

भारत सरकार सेवार्थ
ON INDIA GOVERNMENT SERVICE

स्पीड पोस्ट
BY SPEED POST

SP1000

110001 16.06.2017

0079 00598880

भारत INDIA
POSTAGE

Rs 40.00



P671767



सेवा में,
श्री नीरज गुप्ता
पुत्र श्री मुन्नी लाल गुप्ता
ग्राम बरगावां
जिला सिंगरौली
मध्य प्रदेश

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली - 110 011
PRIME MINISTER'S OFFICE
NEW DELHI - 110 011

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011
South Block, New Delhi - 110 011

संख्या आरटीआई/4936/2017-पीएमआर

दिनांक: 15, 06, 2017

सेवा में,

श्री नीरज गुप्ता
पुत्र श्री मुन्नी लाल गुप्ता
ग्राम बरगावां
जिला सिंगरौली
मध्य प्रदेश

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील पर निर्णय

महोदय,

कृपया अपने दिनांक 02.05.2017 के पत्र का संदर्भ लें जो इस कार्यालय में दिनांक 08.05.2017 को प्राप्त हुआ और जिसे आपने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपील के रूप में प्रस्तुत किया है।

- अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आपने दिनांक 18.03.2017 के सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त हुआ था, में इस कार्यालय को संबोधित दिनांक 19.06.2014, 02.11.2014 और 29.11.2014 के पत्रों पर कार्रवाई की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी।
- प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 26.05.2017 के पत्र द्वारा जानकारी दी थी कि विभागीय अभिलेख रखने की समय-सारणी के अनुसार लोक शिकायत विंग, प्रधान मंत्री कार्यालय के 2014 तक के अभिलेखों को समाप्त किया जा चुका है।
- इस अपील के माध्यम से आपने उल्लेख किया है कि मांगी गई जानकारी अभी तक आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है।
- अधोहस्ताक्षरी ने मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया है और पाया है कि प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 26.05.2017 के पत्र द्वारा मामले से संबंधित जवाब उपलब्ध करा दिया था। अपील में आपने उल्लेख किया है कि जानकारी अभी तक आपको उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह पाया गया है कि आपकी अपील की तारीख 02.05.2017 है जो प्रधान मंत्री कार्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा डिस्पैच किए गए पत्र की तारीख (26.05.2017) से पहले की है और आशा की जाती है कि यह जवाब अब तक आपको मिल गया होगा।
- उपर्युक्त कारणों के आधार पर आपकी अपील पर और कोई कार्रवाई की जानी शेष नहीं है और तदनुसार इसका एतद्वारा निपटान किया जाता है।
- यदि आप चाहें तो इस पत्र के मिलने के 90 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।

(सैय्यद इकराम रिजवी)
निदेशक एवं अपील प्राधिकारी